उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-32/2016/1879/92-1-2016-78(अधि0)/2016

लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री एन0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-रायबरेली को सम्यक विचारोपरान्त जनहित/शासकीय कार्यहित में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-मिर्जापुर के रिक्त पद पर स्थानांतरित करते हुये उन्हें अपने मूल पद के कार्यो एवं दायित्वों के साथ-साथ नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों अथवा उक्त परिमण्डल में अधीक्षण अभियंता की तैनाती होने जो भी पहले हो, तक के लिये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्याचल के पद के कार्यो एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- श्री एन0 के0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता की उपर्युक्तानुसार तैनाती के फलस्वरूप श्री सुरेश चन्द्र, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर को पी0आई0यू0-मिर्जापुर/अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-विन्ध्याचल का प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार समाप्त समझा जायेगा।

3- अधीक्षण अभियंता पद के उक्त अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिये श्री त्रिपाठी को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

4- अधीक्षण अभियंता पद के अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-32/2016/1879(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

_ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- श्री एन0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-रायबरेली द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in